कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# मासिक समाचार पत्र

अंक - 45 फरवरी, 2015



श्री नवेद मसूद,
सचिव का.क.मं.

## सचिव की कलम से

आर्थिक निर्णय लेना एक सुदृढ़ डाटाबेस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) की नई श्रृंखला का अनुमान लगाने के लिए पहली बार एमसीए21 डाटाबेस का प्रयोग किया गया है। नई श्रृंखला में आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया है। अनुमान लगाने की विधि को प्रतिदर्श से बदलकर संख्या विशेषकर गैर कृषि क्षेत्र के लिए कर देने से ये अनुमान पहले की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हो गए हैं।

संशोधित सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों में वृद्धि दिखाई देती है। सकल घरेलू उत्पाद जो 2013-14 में 6.6% और 2014-15 में 7.4% अनुमानित किया गया था, की नई श्रृंखला में निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है। वर्ष 2014-15 के दौरान उत्पादन और सेवा क्षेत्र में विकास दर पूर्व वर्ष में क्रमशः 5.3% और 11.1% की तुलना में क्रमशः 6.8% और 8.4% अनुमानित की जा रही है। बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का चिन्ह पार करने के लिए तैयार है।

चौथे वित्त आयोग ने केंद्र से राज्यों को हस्तांतरण की प्रतिशतता में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि की सिफारिश की है। कर राजस्व की निवल प्राप्ति में राज्य का अंश वर्तमान वर्ष के 32% के स्तर से बढ़कर 42% हो जाएगा। इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। वित्त आयोग की वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित सिफारिशों से एकसमान जीएसटी शुरू करने की भी संभावना है। इससे व्यापार करने की आसानी सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों में काफी मदद मिलेगी।

कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना में मंत्रालय में अगले दो वर्षों (2015-17) के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की प्लान स्कीम के रूप में एक घरेलू डाटा माईनिंग और विश्लेषण सुविधा सृजित करने पर विचार किया गया है। इसका लक्ष्य एमसीए21 डाटा भंडार का प्रभावी उपयोग करके डाटा माईनिंग और विश्लेषण सुविधा के लिए घरेलू क्षमता में सुधार करना और कारपोरेट क्षेत्र के विकास के लिए नीति निर्माण और विवेकपूर्ण नियमन के लिए विश्लेषक अनुसंधान एवं अध्ययन को बढ़ावा देना है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ समाभिरूपित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) अधिसूचित कर दिए हैं। सभी कंपनियां जिनका निवल मूल्य 500 करोड़ रुपए से अधिक है (बीमा कंपनियों, बैंकिंग कंपनियों और नॉन बैंकिंग वित्त कंपनियों को छोड़कर) के लिए दिनांक 01.04.2015 के बाद इंड एएस अपनाना स्वैच्छिक होगा और दिनांक 01.04.2016 के बाद यह अनिवार्य कर दिया जाएगा। मानक अधिसूचित होने से यह आशा है कि कारपोरेट वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता में और सुधार होने के साथ-साथ भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति प्रभावी ढंग से महसूस करा सकेंगी।

> "कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना में मंत्रालय में अगले दो वर्षों (2015-17) के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की प्लान स्कीम के रूप में एक घरेलू डाटा माईनिंग और विश्लेषण सुविधा सृजित करने पर विचार किया गया है।"

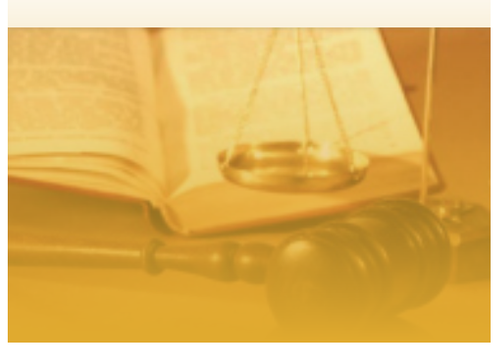

**एमसीए21 डाटाबेस राष्ट्रीय लेखांकन सांख्यिकी के व्यापक संशोधन में मदद करता है :** एमसीए21 डाटाबेस का प्रयोग करके कारपोरेट क्षेत्र के व्यापक कवरेज में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक राष्ट्रीय आय आंकड़ें (एनएएस) की गणना के लिए आधार वर्ष में संशोधन करने में मदद की है। विधि में कुछ सुधार और रिपोर्टिंग प्रपत्र में परिवर्तनों के साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दिनांक 30.01.2015 को आधार वर्ष 2011-12 के साथ नई श्रृंखला प्रकाशित की गई है। इस नई श्रृंखला के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के लिए 6.6% और वर्ष 2012-13 के लिए 4.9% है।

**एमसीए द्वारा डाटा प्रसार :** कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 2015-17 की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की प्लान स्कीम ***''कारपोरेट डाटा प्रबंधन''*** अनुमोदित की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत कारपोरेट रजिस्ट्री में फाईल की गई कारपोरेट क्षेत्र संबंधी सूचना के विशाल भंडार पर इसके प्रभावी उपयोग हेतु कार्यवाही की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए एक घरेलू डाटा माईनिंग और विश्लेषण सुविधा शुरू की गई है। संसाधित डाटा आम पक्षकारो को सक्रियता से प्रसारित किया जाएगा। मंत्रालय के हित से संबंधित विषयों पर अनुसंधान, अध्ययन, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों आदि को भी वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।

**कंपनियों द्वारा लेखाबहियों का रखरखाव :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 के अनुसार कंपनियों को पंजीकृत कार्यालय में अपनी लेखाबही रखनी होगी और यदि कंपनियां किसी अन्य स्थान पर लेखाबही रखती है तो उन्हें कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। लेखा रखने के परिवर्तित स्थान के बारे में अपेक्षित सूचना देने के लिए एक नया ई-प्ररूप एओसी-5 निर्दिष्ट किया गया है। (दिनांक 16.01.2015 की सा.का.नि.)

**वित्तीय विवरण के समेकन में छूट** - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अधीन एक या एक से अधिक अनुषंगी वाली कंपनियों को कंपनी और उसकी सभी अनुषंगियों का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना होता है। भारत के बाहर निगमित एक या एकाधिक अनुषंगियों वाली कंपनियों के संबंध में दिनांक 01.04.2014 के पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष के लिए एककालिक छूट दी गई है (दिनांक 16.01.2015 की सा.का.नि.)।

**बहुविध कंपनियों के कॉमन ट्रस्ट आदि के माध्यम से सीएसआर कार्यकलाप** - कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 4(2) के अधीन कोई कंपनी (i) स्वयं, या (ii) किसी कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित किसी पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के माध्यम से या (iii) यदि वह ट्रस्ट, सोसायटी या कंपनी जिसके माध्यम से सीएसआर कार्यकलाप कार्यान्वित किया जाना है कंपनी या उसकी समूह कंपनी द्वारा स्थापित नहीं है तो उसके लिए समान कार्यक्रम या परियोजनाओं के संचालन का तीन वर्ष का सुस्थापित ट्रैक रिकॉर्ड अपेक्षित है। नियम 4(3) कंपनियों को सहयोग करने और सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने की इस शर्त के अधीन अनुमति देता है कि इस व्यवस्था में प्रत्येक कंपनी द्वारा उनकी सीएसआर कार्यकलाप के संबंध में अलग से रिपोर्ट देने की अनुमति हो। मंत्रालय ने बहुविध कंपनियों और उनकी समूह कंपनियों को उनके सीएसआर कार्यकलापों के संचालन के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन मिलकर ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी है **(दिनांक 19.01.2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43(अ))।**

**कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर उच्च स्तरीय समिति का गठन** - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन (i) 500 करोड़ रूपए निवल मूल्य, (ii) 1000 करोड़ रुपए टर्नओवर, (iii) 5 करोड़ रुपए निवल लाभ वाली सभी या इनमें से कोई एक मानक को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए सीएसआर नीति बनाना और उनके पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ का 2% सीएसआर कार्यकलाप पर व्यय करना अपेक्षित है। कंपनियों के सीएसआर कार्यकलापों का प्रकटीकरण उनके वार्षिक बोर्ड प्रतिवेदन में किया जाना है और कंपनी के सीएसआर नीति तथा चलाए गए कार्यकलापों के संबंध में विहित प्ररूप में एक विवरण मंत्रालय में दायर किया जाना अनिवार्य है। मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीतियों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए उपाय सुझाने हेतु श्री अनिल बैजल, भारत सरकार के पूर्व सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2015 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषयों में (i) कंपनियो द्वारा सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए उपयुक्त तौर-तरीकों की अनुशंसा; (ii) कंपनियों द्वारा उनके अपने सीएसआर कार्यकलापों की सूचारू निगरानी और मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने हेतु सरकार द्वारा अनुशंसनीय उपाय सुझाना; (iii) कंपनियों द्वारा व्यय की प्रभावोत्पादकता और अनुपालन की गुणवत्ता के संबंध में सरकार को पर्याप्त फीडबैक सुगम करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से सीएसआर पहलों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए रणनितियों की पहचान करना, और (iv) सीएसआर निष्पादन कर रही सरकारी कंपनियों के लिए भिन्न निगरानी तंत्र की आवश्यकता की जांच करना और यदि आवश्यक समझा जाए इस संबंध में अनुशंसाएं करना। प्रो. दीपक नैयर, श्री किरण कार्णिक, श्री ओंकार एस. कंवर, श्री एस.के. गोयल, संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग इस समिति के सदस्य हैं। श्रीमती शिबानी स्वैन, आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय समिति की सदस्य-संयोजक हैं।

**विदेशी निदेशकों द्वारा त्याग-पत्र** - कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 16 के अधीन किसी कंपनी के निदेशक पद से त्याग पत्र देने वाले किसी निदेशक के लिए त्याग पत्र के 30 दिनों के भीतर पदत्याग की सूचना और उसके कारण प्ररूप डीआईआर-11 में कंपनी रजिस्ट्रार को देना अपेक्षित है। विदेशी निदेशकों द्वारा पदत्याग के मामले में इस अपेक्षा को शिथिल किया गया है। किसी कंपनी के निदेशक पद से पदत्याग करने वाले किसी विदेशी निदेशक हेतु पदत्याग के कारणों की सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को देने के लिए अपनी ओर से किसी पेशारत चार्टर्ड अकांउटेंट या पेशारत लागत लेखाकार या पेशारत कंपनी सचिव या कंपनी के किसी अन्य निवासी निदेशक को प्राधिकृत करने की अनुमति दी गई है **(दिनांक 19.02.2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.42(अ))।**

**एकाधिक डीआईएन के संबंध में शिकायतें** - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 155 एक निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आबंटित किए हुए किसी व्यक्ति के लिए एक और डीआईएन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना निषिद्ध है। एकाधिक डीआईएन आबंटन के शिकायतों के निपटान में तेजी लाने के लिए सरकार ने प्रादेशिक निदेशक (उ.क्षे.), नोएडा के कार्यालय में पांच अधिकारियों को नामित किया है **(दिनांक 09.01.2015 की अधिसूचना सं. 129(अ))।**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में ''न्युनतम सरकार, अधिकतम शासन''**- श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में और श्री अजय दास मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव, श्रीमती शिबानी स्वैन, आर्थिक सलाहकार

और श्री नवरंग सैनी, निदेशक (निरीक्षण और जांच) की सदस्यता वाली ''न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'' समिति का 12.01.2015 को गठन किया गया था। श्री सुरेश पाल, संयुक्त सचिव को समिति द्वारा अपनी बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया। समिति ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही, समिति ने ई-ऑफिस प्रारंभ करने; और संगत कार्यात्मक अनुभागों/प्रभागों के लिए एक संगठनात्मक सुधार करने; आवतियों के निपटान के लिए समय सीमा तय करने; क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशासनिक/वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने; और, शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली को उन्नत बनाने की सिफारिश की है। सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

**आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** - भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने 29 से 31 जनवरी, 2015 के दौरान बैंगलुरू में 'लेखांकन व्यवसायः वैश्विक प्रतिस्पर्धा निर्माण; विकास प्रोत्साहन' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में लेखांकन व्यवसाय के उभरते प्रतिमानों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर विचार-विमर्श किया गया। भारतीय प्रणालियों के वैश्विक गतिविधियों के साथ एकीकरण से संबंधित समसामयिक प्रासंगिकता, और विशिष्ट महत्व के मामलों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में विश्वभर से लेखाकारों और लेखापरीक्षकों ने हिस्सा लिया। श्री अजय दास मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, ने दिनांक 30.01.2015 को आयोजित- 'रिपोटिंग का महत्व - शासन और सूस्थायित्व' सत्र में ''आईएफआरएस क्रियान्वयनः महत्वपूर्ण सीखः सरकार का दृष्टिकोण'' विषय पर व्याख्यान दिया।

**भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान की वार्षिक आम बैठक** - भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) समाज की छठी वार्षिक आम सभा का आयोजन दिनांक 08.01.2015 को नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में किया गया। सभा की अध्यक्षता श्री अरूण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त, कारपोरेट कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा की गई और सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, विशेष सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और डॉ. भास्कर चटर्जी, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईआईसीए तथा अन्य ने हिस्सा लिया। वर्ष 2015-16 के लिए आईआईसीए की कार्य योजना और आईआईसीए के लिए एक ब्रांड मूल्य बनाने के लिए कार्य के विशेष मद, जैसे परामर्श कार्य, अल्पावधि और दीर्घावधि प्रमाणन पाठयक्रम, अनुसंधान और प्रकाशन की अकादमी पर चर्चा की गई।

*श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त, कारपोरेट कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री दिनांक 08.01.2015 को आयोजित भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान की वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता करते हुए। सभा में उपस्थित सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, विशेष सचिव, डॉ. भास्कर चटर्जी, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईआईसीए तथा अन्य अधिकारी लिया।*

**कारपोरेट दिवालिया व्यवस्था** - एक आसान कारपोरेट दिवालिया व्यवस्था करना व्यापार सरल बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। कानूनी प्रक्रिया, कंपनियों के लिए वित्तीय संकट से आसानी से निकालना ही नहीं है, बल्कि हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए भी अपेक्षित है। भारत में कारपोरेट दिवालिया कानून ढांचे के अध्ययन के लिए नियुक्त श्री टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में दिवालिया कानून सुधार समिति ने जनवरी, 2015 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही, इसमें अन्य बातों के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बीमारू कंपनियों के पुनरूद्धार और पुनर्वास से संबंधित प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन भी हैं।

**निवेशक सुरक्षा एवं जागरूकता** -

(क) तीन व्यवसायिक संस्थाओं (अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान) के सहयोग से जनवरी, 2015 के दौरान देश के विभिन्न कस्बों/शहरों में 25 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(ख) जनवरी, 2015 के अंत तक, 3413 कंपनियों ने वेबसाइट iepf.gov.in पर निवेशकों की अदत्त और दावा न की गई राशि के बारे में सूचना दी कि उनके पास 4275.49 करोड़ रूपए की दावा न की गई राशि है। यह वेबसाइट कंपनियों के लिए पिछले सात वर्षों के दौरान निवेशकों की अदत्त और अदावी राशि, जो अभी निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में हस्तांतरित का जानी है, जिससे निवेशक कंपनी से उक्त राशि का दावा कर सकें, का विवरण फाइल करने के लिए बनाई गई है।

**कारपोरेट क्षेत्र की पुनरीक्षा** -

(क) दिनांक 31.01.2015 तक 14.46 लाख कंपनियां कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई। इनमें से, 2.64 लाख कंपनियां बंद कर दी गई तथा 28,443 कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। 1.40 लाख कंपनियों ने पिछले तीन या अधिक वर्षों से अपनी वार्षिक विवरणी/तुलन-पत्र (अर्थात् वार्षिक सांविधिक फाइलिंग) नहीं भरी हैं। दूसरे शब्दों में लगभग 10.13 लाख सक्रिय कंपनियां हैं, जिसमें पूर्ववर्ती अठारह माहों में निगमित की गई (वार्षिक सांविधिक फाइलिंग के लिए बकाया नहीं) 1.13 लाख कंपनियां भी शामिल है।

(ख) जनवरी, 2015 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 1268.45 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ कुल 6,902 कंपनियां पंजीकृत हुई, जिसमें 298 एकल व्यक्ति कंपनियां (ओपीसी) भी शामिल है। नई निगमित कंपनियों का वर्ग के आधार पर ब्यौरा निम्नलिखित हैः

(ग) शेयर द्वारा सीमित के आधार पर पंजीकृत कंपनियों के वर्ग के तहत, अधिकतम संख्या में पंजीकरण दिल्ली में (1,262) हुए जिसके बाद महाराष्ट्र (1236) तथा उत्तर प्रदेश (643) में पंजीकरण हुए। हाल ही में पंजीकृत कंपनियों के आर्थिक गतिविधि-वार वर्गीकरण (3126) में ''व्यापार सेवाएं'' सर्वोच्च स्थान पर है।

| कंपनी का प्रकार | जनवरी, 2015 में पंजीकृत कंपनियों की संख्या | कुल प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रूपए मे) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **शेयर द्वारा सीमित कंपनियां** | 6858 | 1268.33 |
| जिनमें से | | |
| (क) निजी | 6723 | 1132.35 |
| जिनमें से, | | |
| एकल व्यक्ति कंपनियां | 298 | 6.34 |
| (ख) सार्वजनिक | 135 | 135.98 |
| **गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां** | 41 | 0.04 |
| जिनमें से, | | |
| (क) निजी | 32 | 0.04 |
| (ख) सार्वजनिक | 9 | 0.00 |
| **असीमित कंपनियां** | 3 | 0.08 |
| जिनमें से, | | |
| (क) निजी | 3 | 0.08 |
| (ख) सार्वजनिक | 0 | 0.00 |
| **कुल योग** | **6902** | **1268.45** |

(घ) जनवरी 2015 के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) एवं पांच राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यम (एसएलपीई) पंजीकृत हुए। इन कंपनियों की समग्र प्राधिकृत पूंजी 11.12 करोड़ रूपए थी। निगमित सीपीएसयू निम्नलिखित हैः 1 एनएमडीसी स्टील लिमिटेड; एवं 2. छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड। निगमित एसएलपीई इस प्रकार है:1 पनवेल म्यूनिसीपल ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड 2.उड़ीसा कोल एंड पावर लिमिटेड;3. हारूप कोल कोरपोरेशन लिमिटेड;4. केरवा कोल लिमिटेड; तथा 5. त्रिपुरा पावर जेनरेशन लिमिटेड। कारपोरेट क्षेत्र में विकास के बारे में अधिक सांख्यिकीय ब्यौरे के लिए पाठक कृपया URL:mca.gov.in/MinistryV2/Information Buletin.html, पर 'कॉरपोरेट क्षेत्र संबंधी मासिक सूचना बुलेटिन' देखें।

## मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों में उपस्थिति -

1. दिनांक 28.01.2015 को नावेद मसूद, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सुश्री अंजुलि चिब, दुग्गल, विशेष सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने संसदीय समिति के समक्ष सार्वजनिक उपक्रमों पर कंपनी अधिनियम, 2013 संबंधी सीएसआर उपबंधों पर संक्षिप्त प्रस्तुति तैयार की।

2. दिनांक 19.01.2015 को श्री नावेद मसूद, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय,सुश्री अंजुलि चिब दुग्गल, विशेष सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने संसद की आकलन समिति के साथ 'एनबीएफसी के हितों के संरक्षण के लिए नियामक तंत्र-कारपोरेट कार्य-मंत्रालय से संबंधित सिहांवलोकन' पर हुई बैठक में भाग लिया।

3. श्री नावेद मसूद, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 22.01.2015 को मुंबई में सेबी बोर्ड की 158 वें बैठक में भाग लिया।

4. श्री नावेद मसूद, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 12.01.2015 को औद्योगिक नीति एवं सर्वधन विभाग द्वारा आयोजित 'इज़ आफ डुईंग बिजनेंस इन इंडिया' पर हुई बैठक में भाग लिया।

5. 18-21, जनवरी, 2015 के दौरान उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति विभाग ने सीएसआर प्रावधानों के कार्यान्वयन से उत्पन्न हुए मुद्दों पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से बातचीत करने के लिए चेन्नई, मुंबई एवं उदयपुर का निरीक्षण किया। संसदीय स्थायी समिति द्वारा बातचीत के लिए चुने गये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इस प्रकार हैः- इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), आयल एवं नैचरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) इंडियन आयल कारपोरेशन लि.(आईओसी) एफसीआई आरवली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लि. (एफएजीएमआईएल)। श्रीमती शिवानी स्वेन, आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने समिति की कार्यवाई में कारपोरेट कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

## सीसीआई में प्रमुख आयोजन -

1. श्री अशोक चावला, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिनांक 19.01.2015 को नई दिल्ली में ''परिवर्तनशील भारत में अर्थव्यवस्था, राज्य और समाज'', पर 95वें एसओचम स्थापना दिवस पर व्याख्यान दिया।

2. श्री अशोक चावला, अध्यक्ष ने 24-25 जनवरी, 2015 के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा हाल ही में पदोन्नत उच्च न्यायालय न्यायधीशों के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

## आईआईसीए में प्रमुख आयोजन -

1. **कारपोरेट सुशासन पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन -** दिनांक 28.01.2015 को विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम (आईएफसी) के सहयोग से भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) तथा निदेशकों के संस्थान, यूके ने मुंबई में कारपोरेट सुशासन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संचालन किया। इस सम्मेलन ने कारपोरेट सुशासन के क्षेत्र में भारतीय एवं विश्वव्यापी सर्वोत्तम व्यवहार पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया है।

2. **कंपनी अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय सेमिनार -** दिनांक 9 और 10 जनवरी, 2015 को आईआईसीए ने मद्रास वाणिज्य मंडल एवं उद्योग (एमसीसीआई) के सहयोग से चेन्नई में कंपनी अधिनियम, 2013 पर राष्ट्रीय सेमिनार का संचालन किया।

3. **बीमा विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम -** आईआईसीए ने 20-22 जनवरी, 2015 को, मानेसर हरियाणा में विभिन्न क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के कनिष्ठ/ मध्य स्तर के अधिकारियों एवं उच्च अधिकारियों के लिए बीमा विपणन पर प्रयोगात्मक एवं क्लासरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

4. **आईसीएलएस अधिकारियों के लिए इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम-** दिनांक 5-9 जनवरी, 2015 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आईसीएलएस अधिकारियों (कनिष्ठ समय-मान) के लिए 5 दिनों के इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सात आईसीएलएस अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में शामिल मुद्दों/विषयों में से कुछ इस प्रकार है। कारपोरेट सुशासन, लेखा परीक्षा मानक, निष्पक्ष आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के तरीके, तुलन-पत्र का विश्लेषण, भारतीय लेखा मानक, कारपोरेटों मे खतरे का निर्धारण, स्वतंत्र निदेशक, निरीक्षण, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पूछताछ एवं जांच।

Design | Print | chandupress@gmail.com

Compiled and Published by: Research and Analysis Division, B-1 Wing, Second Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
For further details on the contents of this Newsletter, Please visit website: www.mca.gov.in